P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-1* September- 2017
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का जबलपुर क्षेत्र के शासकीय कर्मचारियों के जीवन पर प्रभाव

सपना चावला
एसोसिऐट प्रोफेसर
वाणिज्य विभाग,
शासकीय (स्वशासी) मान कुँवर बाई कला एवं वाणिज्य महिला महाविद्यालय,
जबलपुर, म.प्र.

शाहिदा बानो अंसारी
शोधार्थी,
वाणिज्य विभाग,
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर, म.प्र.

सारांश

एक व्यक्ति के रूप में मनुष्य के जीवन को प्रभावित करने वाले अनेक कारक होते हैं। इसी प्रकार एक कर्मचारी के रूप में भी व्यक्ति को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। इनमें से ही एक महत्वपूर्ण कारक है व्यक्ति के जीवन में आने वाले संकटों जैसे बुढ़ापा, बीमारी, निशक्तता, मृत्यु आदि की देशा में कर्मचारी व उसके परिवारजनों को सुरक्षा प्रदान करने वाली सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ जो कर्मचारी को नियोक्ता की ओर से प्रदान की जाती है। इन योजनाओं का लाभ मिलने या न मिलने दोनों ही परिस्थितियों में यह सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ कर्मचारी को प्रभावित करती है।

मुख्य शब्द : सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ, कर्मचारी, प्रभाव।

प्रस्तावना

सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा है जो समाज उपयुक्त संगठन द्वारा अपने सदस्यों के जीवन में आने वाले विभिन्न संकटों में प्रदान करता है। सुरक्षा एक मानसिक स्थिति है और एक वास्तविक व्यवस्था भी है। सुरक्षा प्राप्त होने का अर्थ है कि मनुष्य को यह विश्वास हो कि आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा प्राप्त होगी। यह गुण (Quality) व परिमाण (Quantity) में संतोष जनक होनी चाहिये। सामाजिक सुरक्षा शब्द में दो आवश्यक तत्व निहित है–

1. सुरक्षित होने का अनुभव
2. विपत्ति के समय सहायता का पर्याप्त मात्रा में होना।

"सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का जबलपुर क्षेत्र के शासकीय कर्मचारियों के जीवन पर प्रभाव" का अध्ययन किया गया है जिसमें सर्वप्रथम शासकीय कर्मचारियों का अर्थ समझ लेना उचित होगा।

शासकीय कर्मचारी

शासकीय कर्मचारी से आशय वह कर्मचारी जो केन्द्र अथवा राज्य शासन के विभिन्न विभागों में केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं और इनका वेतन केन्द्र अथवा राज्य की संचित निधि पर भारित होता है तथा इन कर्मचारियों की सेवा शर्तें केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।

विश्व में सामाजिक सुरक्षा की शुरूआत ब्रिटेन से हुई जब 1901 में सर्वप्रथम ब्रिटेन में निर्धनों और निराश्रितों के प्रति जिम्मेदारी को माना और निर्धन कानून बनाये गये। धीरे–धीरे यह संकल्पना विश्व में अन्य देशों द्वारा भी अपनाई गई।

साहित्य पुनरावलोकन

पी. माधव राव ने अपने अध्ययन "Social Security Administration in India – Study of Provident funds and pension scheme" में बताया कि भारत में सामाजिक सुरक्षा सामाजिक नीति का एक प्रमुख हिस्सा बनती जा रही है और अब समय आ गया है कि देश के नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताओं में वृद्धि की जाए।

हैण्डल पी. एलिस, मुनीर आलम एवं इंदिरा गुप्ता ने अपने अध्ययन "Health Insurance in India: Prognosis and Prospectus" में बताया कि यह तथ्य सिद्ध हो चुका है कि भारत में चिकित्सा पर व्यय का स्तर इसके कुल जी. डी.पी. का 6% है जोकि अन्य विकासशील देशों में अधिक है।

Patricia Justino ने अपने शोध "Social Security पद Developing Countries: Myth or Necessity? Evidence from India" में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सामाजिक सुरक्षा नीतियों के महत्व और इसके सम्बंध में भारत के अनुभवजन्य प्रमाणों पर चर्चा की है। वर्ष 1973 से 1999 के बीच भारतीय सामाजिक आर्थिक सुरक्षा नीतियों के प्रभावों का विश्लेषण किया है और इस

नतीजे पर पहुँचे है कि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पर किये जाने वाले व्ययों से भारत के आर्थिक विकास पर प्रभावी उपाय किये जा रहे हैं।

भारत में सामाजिक सुरक्षा के साक्ष्य प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों कौटिल्य रचित "अर्थशास्त्र" मनुरचित "मनुस्मृति" "नारद स्मृति" तथा शुक्राचार्य की रचना "शुक्र स्मृति" आदि ग्रंथों से प्राप्त होते हैं। आधुनिक भारत में सामाजिक सुरक्षा के संबंध में अधिकतम प्रयास भारत सरकार द्वारा किये गये और विभिन्न अधिनियम बनाये गये, जिनके माध्यम से देश में स्थित विभिन्न संस्थानों में कार्यरत् कर्मचारियों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने अनेक सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ संचालित की गई। वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा के लिये बनाए गए विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत संचालित अनेक योजनाएं है जो इस प्रकार है –

सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ

भविष्य निधि

भविष्य निधि भविष्य के लिए प्रबंध करना होता है इसमें कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमाह एक निश्चित दर से रकम अंशदान के रूप में लेकर भविष्य निधि में जमा कर दी जाती है इसके बराबर की राशि नियोक्ता द्वारा भी जमा कराई जाती है और इस पर एक निर्धारित दर से ब्याज का भुगतान किया जाता है। कर्मचारी जब सेवा निवृत्त होता है तो उस समय वह इकट्ठी रकम ब्याज सहित कर्मचारी को मिल जाती है। यदि कर्मचारी की सेवा से निवृत्त होने के पहले ही मृत्यु हो जाती है तो इस फण्ड की रकम कर्मचारी के उत्तराधिकारी (वैधानिक) को मिल जाती है।

परिवार पेंशन

कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात उसके परिवार को नियोक्ता द्वारा प्रदान किया जाने वाला नियमित भुगतान है।

अनुकम्पा नियुक्ति

यदि किसी भी सरकारी सेवक की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो उस सरकारी सेवक के परिवार के किसी पात्र आश्रित सदस्य को परिवार का जीवन–यापन चलाने के लिए सरकार अपनी सेवा में नियुक्त करती है इसे अनुकम्पा नियुक्ति कहते है। अनुकम्पा नियुक्ति शासन द्वारा लागू की गई एक कल्याणकारी योजना है। अनुकम्पा नियुक्ति एक सुविधा है, यह उसी स्थिति में दी जाती है जब परिवार में कमाने वाला कोई सदस्य नहीं होता।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की आयु पूर्ण होने के पूर्व ही स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने हेतु प्रचलित योजना जिसमें सेवा की शेष अवधि के लिये भी कर्मचारी को भुगतान किया जाता है।

ग्रेच्युटी

एक कर्मचारी जब अवकाश ग्रहण (सेवा निवृत्त) करता है तो उसकी सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए एक मुश्त राशि उसे दी जाती है, जिसे ग्रेच्युटी कहते है।

प्रसूति अवकाश

महिला कर्मचारियों को गर्भावस्था के दौरान से लेकर संतानोत्पत्ति के बाद तक प्रदत्त अवकाश जिसमें वेतन का भुगतान निरंतर किया जाता है।

पितृत्व अवकाश

पुरूष कर्मचारियों को संतान उत्पत्ति होने पर पत्नी की सहायता व देखभाल हेतु प्रदान किया जाने वाला सवैतनिक अवकाश।

चिकित्सा सुविधायें

कर्मचारियों या उनके आश्रितों को चिकित्सकीय लाभ प्राप्ति के लिये दी जाने वाली सुविधाएं चिकित्सा सुविधाएं कहलाती हैं।

शिशु देखभाल अवकाश

महिला कर्मचारियों को अपने बच्चों की देखभाल हेतु मिलने वाला अवकाश है। जो निर्धारित शर्तों पर प्रदान किया जाता है।

उपर्युक्त सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं कर्मचारी तथा उनके परिजनों के जीवन में आने वाले संकटों से रक्षा करती है और उनके मन में सुरक्षा का भाव उत्पन्न करती है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का कर्मचारियों के जीवन पर प्रभावों का अध्ययन करना।
2. सकारात्मक प्रभाव की संवृद्धि हेतु सुझाव देना।

शोध प्रविधि

शोध अभिकल्प

अध्ययन हेतु वर्णानात्मक शोध प्रविधि अपनायी गयी है।

शोध उपकरण

अध्ययन में समंक संकलन के लिये प्रश्नावली तथा साक्षात्कार को अपनाया गया।

प्रतिदर्श का आकार

कुल 200 कर्मचारियों का चयन किया गया है। जिसमें 100 केन्द्र तथा 100 राज्य शासन के कर्मचारी शामिल हैं।

प्रतिदर्श विधि

अध्ययन के लिये कर्मचारी का चयन यादृच्छिक रूप से किया गया है।

सीमाएं

1. अध्ययन हेतु केन्द्रीय शासन के कर्मचारियों के लिए भारतीय डाक विभाग तथा राज्य शासन के कर्मचारियों के लिये वाणिज्यिक कर विभाग के कर्मचारियों का चयन किया गया है।
2. अध्ययन वर्तमान में सेवारत् कर्मचारियों तक सीमित रखा गया है।
3. अध्ययन हेतु सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से कुछ सामान्य योजनाओं का चयन किया गया है।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का कर्मचारियों के जीवन पर प्रभाव

1. व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव
2. आर्थिक प्रभाव
3. जीवन स्तर पर प्रभाव

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-1* September- 2017
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव

सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ कर्मचारी के जीवन को सुरक्षित करती हैं जैसे स्थाई नौकरी, बीमारी आदि की दशा में चिकित्सा सुविधाएँ, मातृत्व अवकाश, बुढ़ापे में पेंशन, मृत्यु पर परिवार की सुरक्षा हेतु परिवार पेंशन, कार्य करने में अक्षमता आदि आने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति, सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेच्युटी, प्रॉविडेंट फंड आदि के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। इन सभी के द्वारा कर्मचारी का जीवन सुरक्षित होता है इसके विपरीत कर्मचारी में असुरक्षा होती है इस सम्बंध में कर्मचारियों का मत जानने किये गए प्रश्न पर –

सामाजिक सुरक्षा हेतु योजनाएं होना आवश्यक है?

सारणी क्र.–01

योजनाओं की आवश्यकता

कर्मचारी	संख्या	हाँ	नहीं	प्रतिशत
केन्द्र शासन	100	99%	1%	100%
राज्य शासन	100	100%	0%	100%
योग	200	199%	1%	200%

स्त्रोत : केन्द्र व राज्य शासित संस्था के कर्मचारी के साक्षात्कार व प्रश्नावली

ग्राफ क्र.–01

योजना की आवश्यक को दर्शाता ग्राफ

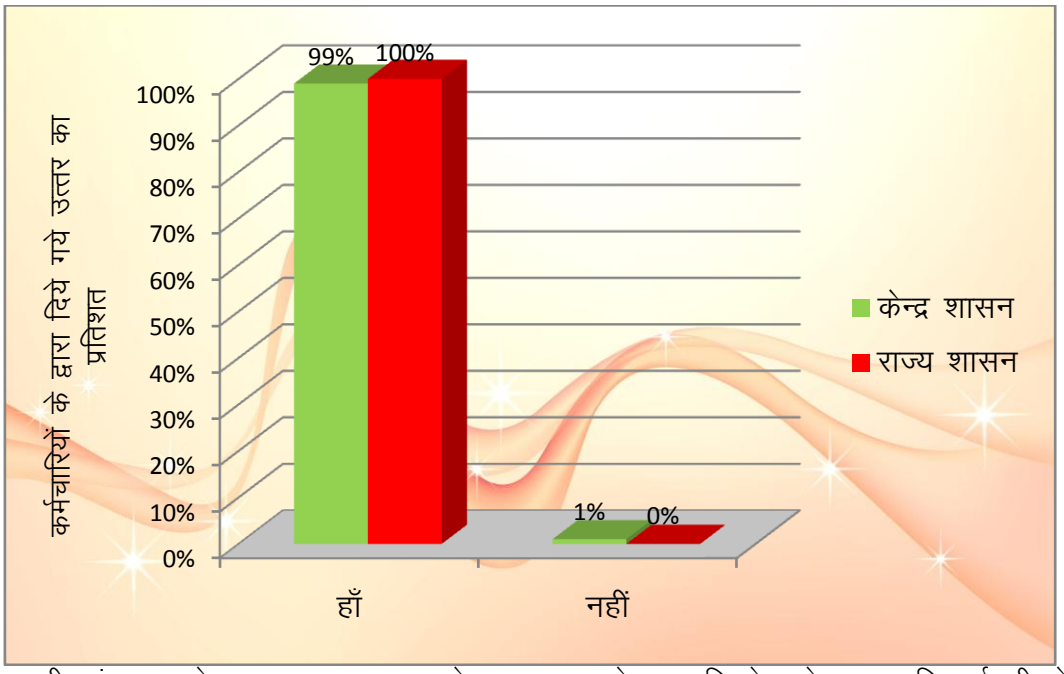

सारणी क्रं– 01 के आधार पर अध्ययन हेतु चयनित कुल 200 कर्मचारियों (केन्द्र शासन के 100 तथा राज्य शासन के 100 कर्मचारियों) में, केन्द्र शासन के 99% कर्मचारियों ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ आवश्यक है वहीं राज्य शासन के 100% कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा को आवश्यक मानते हुए इसके पक्ष में गए।

निष्कर्षतः कर्मचारी चाहे वह राज्य शासन के हो या केन्द्र शासन के, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को आवश्यक मानते हैं। कर्मचारी और उसके परिवार की सुरक्षा नियोक्ता होने के नाते शासन की जिम्मेदारी होती है।

आर्थिक प्रभाव

सुरक्षित नौकरी इसके साथ नियमित व निश्चित वेतन, भत्ते अनुलाभ आदि तथा कर्मचारी के वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कर्मचारी को प्राप्त होने वाली सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न योजनाएँ और इनके तहत मिलने वाले लाभ आदि कर्मचारी के आर्थिक जीवन को सुदृढ़ता प्रदान करते हैं।

भविष्य के लिये सुरक्षित निधि इस पर मिलने वाले अन्य लाभ, अग्रिम की सुविधा, ऋण की सुविधा और अन्य सहायता आदि की गारंटी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से प्राप्त होती है और कर्मचारी के आर्थिक जीवन को सुदृढ़ बनाती है। इस संबंध में कर्मचारियों का मत है –

क्या योजनाओं का आर्थिक प्रभाव पड़ता है?

सारणी क्र.–02

आर्थिक प्रभाव

कर्मचारी	संख्या	हाँ	नहीं	प्रतिशत
केन्द्र शासन	100	96%	4%	100%
राज्य शासन	100	89%	11%	100%
योग	200	185%	15%	200%

स्त्रोत : केन्द्र व राज्य शासित संस्था के कर्मचारी के साक्षात्कार व प्रश्नावली

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-1* September- 2017
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

ग्राफ क्र.–02
आर्थिक प्रभाव को दर्शाता ग्राफ

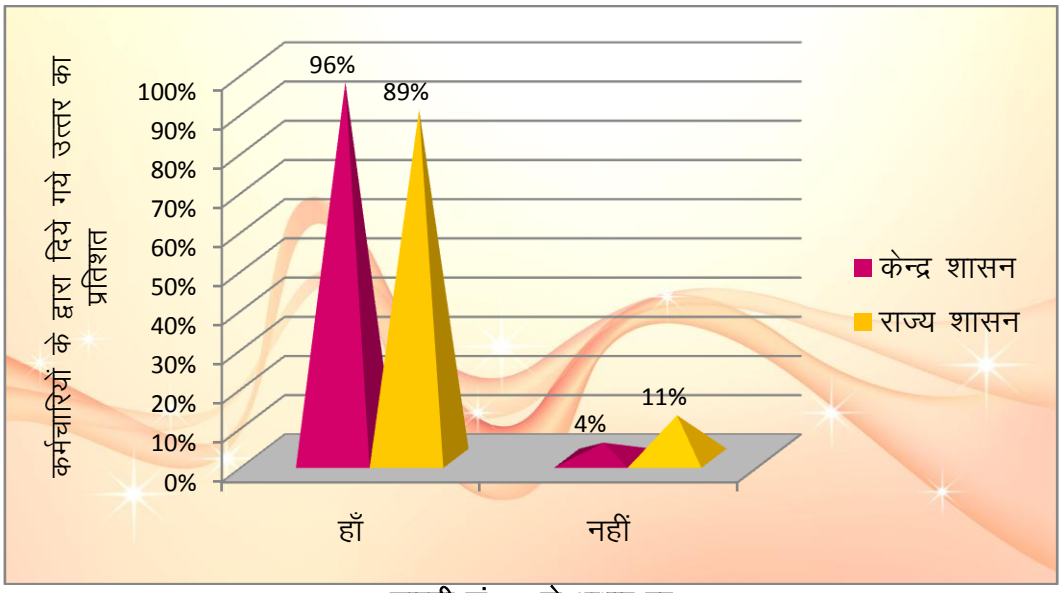

सारणी क्रं– 2 के आधार पर

केन्द्र शासन के कर्मचारियों में 96% कर्मचारियों का उत्तर हाँ में पाया गया जबकि राज्य शासन के 89% कर्मचारी ऐसा मानते हैं कि सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ कर्मचारी के आर्थिक जीवन को सशक्त बनाती हैं।

जीवन स्तर पर प्रभाव

कर्मचारियों को कार्यकाल के दौरान व इसके पश्चात् भी जीवन में आने वाले संकटों का सामना करने अनेक सुरक्षा योजनाएँ उपलब्ध कराई जाती है। उदाहरण के लिये चिकित्सा सुविधाएँ इन सुरक्षा योजनाओं का लाभ कर्मचारी व उसके परिवार के आश्रित सदस्यों को भी प्राप्त होता है एक साधारण व्यक्ति की तुलना में कर्मचारी का जीवन अधिक सुरक्षित व इस ओर से चिंतामुक्त होता है। इन विपत्तियों की ओर से चिंतामुक्त कर्मचारी जीवन के अन्य पहलुओं पर विचार करने हेतु स्वतंत्र होता है और विकास के मार्ग पर अग्रसर होता है जो एक प्रकार से कर्मचारी के जीवन स्तर को उन्नति की ओर ले जाता है।

इस धारणा की वास्तविकता की जांच एक प्रश्न के माध्यम से की गई।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है?

सारणी क्र.–3
कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार

कर्मचारी	संख्या	हाँ	नहीं	प्रतिशत
केन्द्र शासन	100	90%	10%	100%
राज्य शासन	100	87%	13%	100%
योग	200	177%	23%	200%

स्त्रोत : केन्द्र व राज्य शासित संस्था के कर्मचारी के साक्षात्कार

ग्राफ क्र.–3
कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार दर्शाता ग्राफ

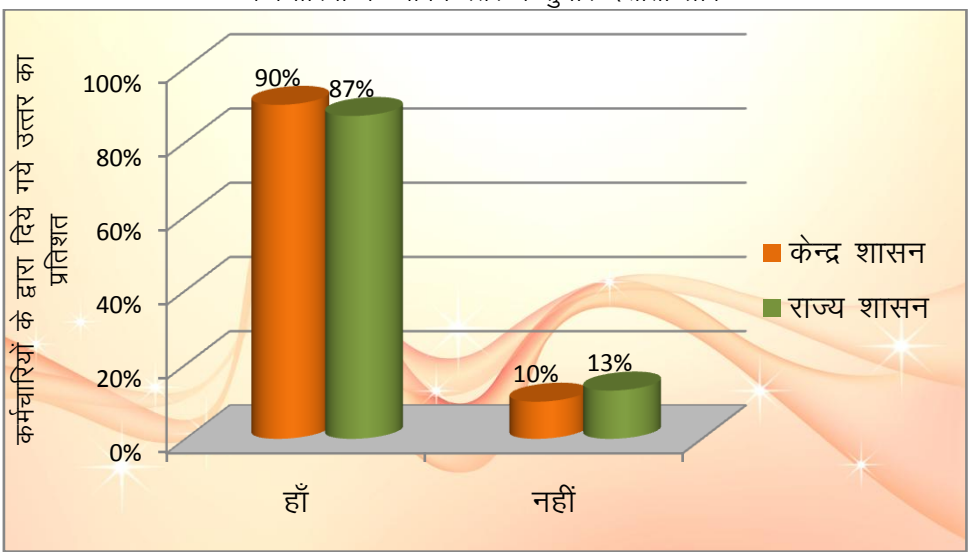

सारणी क्रं– 3 के आधार पर सारणी क्र. 3 से स्पष्ट है कि केन्द्र शासन के कर्मचारियों में 90% कर्मचारी ऐसा मानते हैं कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं ने उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाया है। परन्तु 10% कर्मचारी इनसे संतुष्ट दिखाई नहीं देते।

राज्य शासन के कर्मचारियों में 87% कर्मचारी अपने जीवन स्तर में सुधार को स्वीकार करते हैं और 13% नहीं स्वीकारते इससे स्पष्ट है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में और अधिक विस्तार की आशा कर्मचारियों में है। 23% कर्मचारियों का जीवन स्तर ऊँचा उठाया जाना अभी शेष है।

सामाजिक सुरक्षा योजनाएं कर्मचारी के जीवन को सुरक्षा प्रदान कर जीवन स्तर को ऊँचा उठाने का कार्य करती हैं इसलिये प्रत्येक नियोक्ता का यह कर्तव्य होता है कि वे अपने कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ प्रदान करे।

समस्याएं

1. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का दायरा सीमित है। भारत की कुल जनसंख्या में से मात्र 10% जनसंख्या को ही सामाजिक सुरक्षाओं का लाभ मिलता है।
2. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में एक रूपता का अभाव पाया जाता है। जैसे– बीमा योजनाएं।
3. कर्मचारियों में सामाजिक सुरक्षा के प्रति जागरुकता की कमी पायी जाती है।
4. योजनाओं की लाभ प्राप्ति में बहुत अधिक औपचारिकताओं का सामना करना पड़ता है।

सुझाव

1. सभी प्रकार के जोखिमों जैसे– बीमारी, बुढ़ापा, निःशक्तता को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत कवर किया जाना चाहिए।
2. सभी प्रकार की योजनाओं जैसे– भविष्य निधि, पेंशन आदि में एकरूपता लाई जानी चाहिए।
3. कर्मचारियों में योजनाओं के लाभों के संबंध में जागरुकता बढ़ाई जानी चाहिए। समय–समय पर योजनाओं संबंधी जानकारी से अवगत कराया जाना चाहिए।
4. योजनाओं का लाभ समय पर प्रदान किया जाना चाहिए। जैसे– चिकित्सा सुविधाएं, संकट आने पर तत्काल प्रदान की जानी चाहिए।

निष्कर्ष

केन्द्र शासित संस्था भारतीय डाक विभाग तथा राज्य शासित संस्था वाणिज्यिक कर विभाग जबलपुर शासन के कर्मचारियों पर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन किया गया है। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं प्रत्येक कर्मचारी के व्यक्तिगत, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक जीवन आदि को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। प्रभाव का अध्ययन के लिये केन्द्र व राज्य शासन के कर्मचारियों द्वारा प्रश्नावली में पूछे गए प्रश्न के उत्तर स्वरूप प्राप्त समंकों का प्रयोग कर निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचे हैं।

कर्मचारियों के व्यक्तिगत जीवन हेतु कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की आवश्यक होती है। अध्ययन में शामिल 200 कर्मचारियों में से 199 कर्मचारियों ने इसकी आवश्यकता को स्वीकारा है। कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, वेतन भत्ते, अनुलाभ आदि कर्मचारी के जीवन को आर्थिक रूप से सुदृढ़ता प्रदान करते हैं। योजनाएं कर्मचारी के आर्थिक जीवन को सशक्त बनाते हुए उनके जीवन स्तर में सुधार करते हुए जीवन स्तर को ऊँचा उठाती है। अध्ययन में शामिल 200 कर्मचारियों में से 177 कर्मचारियों ने इसे सही माना है। सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ कर्मचारियों को जीवन में आने वाले सभी संकटों से भयमुक्त बनाती है।

स्पष्ट है सामाजिक सुरक्षा योजनाएं कर्मचारियों के जीवन के सभी पहलुओं को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है अतः इन योजनाओं के प्रशासन व प्रक्रिया आदि में सुधार लाकर एक बेहतर व कार्यसाधक वातावरण का निर्माण किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *Prabhu K.S. and Sandhya R. 1999, "Financing Social Security in India" in Indian Journal of Labour Economics 42(3), pp. 519-533, New Delhi.*
2. *पांथरे आर.टी., सुविधा हैण्डबुक, सुविधा लॉ हाउस प्रा.लिमि. भोपाल, 2011, पृ. 289–293, 302–307, 312–358, 367*
3. *बाहरीज़, हैण्डबुक, केन्द्रीय सेवा नियमावली, संस्करण–17, बाहरी ब्रदर, दिल्ली, पृ. 24–25, 94–96, 112–115, 123–124*
4. *तिवारी डॉ. संजय, पटेल डॉ. काशीराम सिंह, भारत में सामाजिक सुरक्षा, ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2006, पृ. 2–5, 47–55*
5. *भगोलीवाल टी.एन., श्रम अर्थशास्त्र और औद्योगिक संबंध, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, पृ. 376–408*
6. *www.ministryoffinance.com*
7. *www.ministryoflabour.com*
8. *www.ilo.org*